राजस्व वाद 164 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 270
गणपत कुमार बनाम् किताराम वगैरह

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 164 / 2022

वादीगण–

1. गणपत कुमार पुत्र दुर्गाराम, जाति–जाट, निवासी–डिडिया खुर्द, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. किताराम पुत्र धुलाराम
2. सीताराम पुत्र धुलाराम
3. मनीराम पुत्र धुलाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–डिडिया खुर्द, तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, सठित धारा 151 सीपीसी**

निर्णय दिनांक : 05/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल के खाता संख्या 37 में खेत खसरा नं. 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा कुछ वर्षो पूर्व में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया हैं उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 गणपत कुमार के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 किताराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। वादी के पिता दुर्गाराम के फौत होने के बाद वादी के भाई बहनों के

05/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग मुझ वादी गणपत कुमार के पक्ष में करवा दिया था एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में वर्तमान में रकबा कम रखा गया है क्यों कि हमारे परिवार की और भूमियां इनके पास है तथा स्व अर्जित सम्पति भी इनके हिस्से में रखी गई है जिससे इन जमीन में कम हिस्सा रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सीव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 04.07.2022 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जवाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश हेंदा ने की। ईकबाली जवाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं उपस्थित है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होनें राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जवाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गणपत कुमार पुत्र दुर्गाराम के पेश हुवे तथा , नकल जमाबन्दी ग्राम डिडिया खुर्द तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 37 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जवाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जवाब में वर्णित पैराज अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जवाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 04.07.2022 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 04.07.2022 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है तथा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा डिडिया खुर्द के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार खातेदारी घोषणा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा वादी संख्या 1 गणपत कुमार के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 किताराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर वाद पत्र इस्दुआ अनुसार सहमति से जरिये ईकबाली जबाब बटवाड़ा चाहा गया है। अतः मौजा डिडिया खुर्द के खाता संख्या 37 में वर्णित खेत खसरा नं. 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जबाब घोषणा खातेदारी की जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

## — : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा डिडिया खुर्द के खाता संख्या 37 में वर्णित खेत खसरा नं. 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जबाब घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 गणपत कुमार के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 1 किताराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

3. प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 05/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

05/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 164 / 2022
जीसीएमएस नंबर–2022 / 270....
गणपत कुमार बनाम् किताराम वगैरह

## अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 164 / 2022

वादीगण–
1. गणपत कुमार पुत्र दुर्गाराम, जाति–जाट, निवासी–डिडिया खुर्द, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. किताराम पुत्र धुलाराम
2. सीताराम पुत्र धुलाराम
3. मनीराम पुत्र धुलाराम

जातियान–जाट, निवासीगण–डिडिया खुर्द, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।

### दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, सठित धारा 151 सीपीसी

### – : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा डिडिया खुर्द के खाता संख्या 37 में वर्णित खेत खसरा नं. 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर भूमि का विभाजन पक्षकारान् सहखातेदार के मध्य जरिये सहमति एवं ईकबाली जबाब घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 गणपत कुमार के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 466 रकबा 3.1646 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

2. प्रतिवादी संख्या 1 किताराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 122 रकबा 3.4965 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 304 रकबा 0.8660 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते है।

3. प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नंबर 152 रकबा 2.2662 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 05/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

05/7/2022
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

**तीज** – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/7/2022 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)